



छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग मंत्रालय
दारु कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर दिनांक 4/5/05

क्रमांक एफ 20-95/04/11/6
प्रति,

1- उद्योग आयुक्त,
छत्तीसगढ़ शासन रायपुर

2- प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि०
रायपुर (छत्तीसगढ़)

विषय:- औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर भू-आवंटन सेवा शुल्क ।

संदर्भ:- औद्योगिक नीति 2004-09 के परिशिष्ट 4 का बिन्दु क्रमांक 10

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर निजी भूमि के अर्जन और शासकीय भूमि के हस्तान्तरण से प्राप्त भूमि पर छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा भू आबंटी औद्योगिक इकाइयों से प्राप्त की जाने वाली भूमि मूल्य के 25 प्रतिशत अधिक राशि के स्थान पर भूमि मूल्य तथा भूमि मूल्य की 10 प्रतिशत राशि सेवा शुल्क के रूप में ली जाएगी ।

2- यह आदेश दिनांक 1 नवंबर 2004 से प्रभावशील होगा तथा दिनांक 01.11.2004 या उसके पश्चात् निष्पादित पट्टाभिलेखों पर लागू होगा ।

3- वित्त विभाग के यूओओ क्रमांक 715 / बजट-5 / वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 द्वारा इसकी सहमति प्रदान की गयी है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

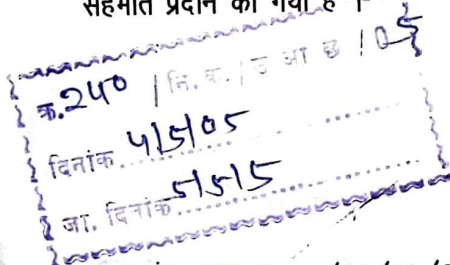
तथा आदेशानुसार,

(अनुप श्रीवास्तव)

विशेष सचिव,

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

रायपुर दिनांक



पृ० क्रमांक एफ 20-95/04/11/6

प्रतिलिपि:-

- 1- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर की ओर उनके यूओओ क्रमांक 715 / बजट-5 / वित्त/चार दिनांक 25.04.2005 के संदर्भ में ।
- 2- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) छत्तीसगढ़, रायपुर की आरे सूचनार्थ ।

- 54 -

विशेष सचिव,
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग